न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 636–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–1–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा जिला सीहोर प्रकरण कमांक 67/अपील/11–12.

1– सुरेश आ. पीरूलाल
निवासी झण्डापुरा छोटा बाजार कोठरी
तहसील आष्टा जिला सीहोर

2– रामचरण आ. पीरूलाल
निवासी हैल्थ एज्यूकेटर, जे.पी. अस्पताल भोपाल
जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शिवनारायण मालवी आत्मज पीरूलाल
निवासी ज्योती इण्डस्ट्रीज के पास सावन नगर
हलालपुर बस स्टेण्ड के पीछे भोपाल

2– रमेशचन्द्र परिहार आत्मज पीरूलाल
निवासी मकान नं. 111 चौकसे नगर
डी.आई.जी. बंगला, बैरसिया रोड भोपाल .....अनावेदकगण

श्री एस.के. गुरोंदिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 11/6/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश 8–1–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा जिला सीहोर के समक्ष संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी क्रमांक 40 पर पारित आदेश दिनांक 1–2–1985 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 11–6–12 को लगभग 27 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/अपील/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 8–1–14 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील समयावधि में मान्य की जाकर सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई है एवं प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग 27 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण करने में कोई साक्ष्य नहीं ली गई । यह भी कहा गया कि इतने अत्यधिक विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि लगभग 27 वर्षों तक आदेश की जानकारी अनावेदकगण को नहीं होना विश्वसनीय नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर आदेश पारित करने के पूर्व विधिवत इस्तहार का प्रकाशन किया गया है, और आवेदकगण की सहमति पर अन्य कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रविष्टि स्वीकार की गई है, अतः ऐसी प्रविष्टि को लगभग 27 वर्ष पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष के मध्य समान भाग पर नामान्तरण किया गया है, और इसे चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगभग 27 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण शासकीय सेवा में थे, और उनके सेवानिवृत्त होने के उपरांत जब

उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, तब उन्हें दिनांक 1–2–85 को पारित नामान्तरण आदेश की जानकारी हुई, अतः अनावेदकगण द्वारा जानकारी के दिनांक से समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें आवेदकगण का स्वत्व निहित है, अतः अनावेदकगण को बिना सूचना दिये पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होकर क्षेत्रिधिकार रहित आदेश है, जिसे किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुत्र के पैदा होते ही पैतृक सम्पत्ति में उसका हित निहित हो जाता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण एवं बटवारा आदेश एक साथ पारित नहीं हो सकते, क्योंकि संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत नामान्तरण एवं संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे के पृथक–पृथक नियम हैं, और बटवारा का आदेश बटवारे नियमों के तहत नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय का नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसमें समय–सीमा का बन्धन लागू नहीं होता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश एवं नामान्तरण आदेश पारित किये गये हैं, जबकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । साथ ही नामान्तरण आदेश एवं बटवारा आदेश एक साथ नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किये जा सकते हैं, क्योंकि नामान्तरण आदेश संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत पारित किया जाता है, और बटवारा आदेश संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत पारित किया जाता है । दोनों के प्रावधान पृथक–पृथक हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि अधिकारिता रहित आदेश को किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है, और ऐसे आदेश में समय–सीमा लागू नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा

अनावेदकगण को ना तो पक्षकार बनाया गया, और ना ही सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः समय–सीमा की गणना जानकारी के दिनांक से की जायेगी । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश 8–1–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर